न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–313/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00229)

1. निकेश गजराज उर्फ लक्की पुत्र श्री अन्तरसिंह जाति जाट आयु 41 वर्ष निवासी ई–319 प्रथम बी, खेतडी नगर जिला झुन्झुनू।
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री चन्दगीराम, जाति जाट, आयु 51 वर्ष निवासी खानपुर तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. महेन्द्र सिह पुत्र सुल्तान सिंह, जाति जाट, निवीस स्वामी की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर हाल निवासी वार्ड नम्बर 13, सिंघाना, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
2. प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका खेतडी, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनू।

–– रेस्पोन्डेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः18.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका खेतडी जिला झुन्झुनूं के आदेश दिनांक 24.12.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90ए के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण के स्वामित्व अधिपत्य की भूमि खसरा नम्बर 453/156 रकबा 5.6866 हैक्टयर में हिस्सा 6555.81 वर्गमीटर में से 40.13 वर्गमीटर ग्राम बनवास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू में स्थित है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने आपस में नाजायज सांठगांठ व कोल्यूजन कर सही व वास्तविक तथ्यों को छिपाकर अपीलार्थीगण की भूमि को हड़प करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में 90क की कार्यवाही करने हेतु अपीलार्थीगण की भूमि के फर्जी बनावटी व कूटरचित दस्तोवजात तैयार कर मिथ्या आधारों पर आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 24.12.2014 को अपीलार्थीगण के अधिकारों व हितो एवं नियम विरूद्ध उक्त आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया, न ही अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया, न ही विवादग्रस्त भूमि पर आकर कोई मौका निरीक्षण ही किया, न ही रिपोर्ट ही मंगवाई तथा उक्त निर्णय न्याय व कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रतिकूल पारित किया है जो निरस्तनीय किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को नही दिया तथा रेस्पोडेन्ट ने आपस में नाजयज सांठगांठ व कोल्यूजन कर बिना सूचना जारी

P.T.O.

किये बिना ही तथा दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करवाये बिना ही 90क की कार्यवाही का आदेश गलत रूप से पारित कर दिया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि 90ए का आदेश पारित करने से पूर्व आपत्तियॉ मंगवाई जाती है एवं उनका प्रकाशन करवाया जाता है तथा प्रकाशन की दिनांक के 30 दिन की अवधिक का समय निश्चित किया जाता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कोई सूचना प्रकाशित नही करवाकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क व राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियमों के विपरित जाकर व उन्हे नजर अंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विधान के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि दिनांक 23.05.2016 को अपीलान्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 नगर पालिका खेतडी में अपनी उक्त क्रयशुदा सम्पत्ति के सम्बन्ध में पट्टा विलेख प्राप्त करने की प्रक्रिया पूँछी तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कर्मचारियों ने अपीलान्ट को उक्त खरीदशुदा भूमि का पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को देना बताया तथा दिनांक 25.05.2016 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सिविल न्यायाधीश बुहाना के यहॉ लम्बित दीवानी वाद 127/12 में तथाकथित पट्टा विलेख प्रस्तुत किया तो अपीलान्ट को उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने पर उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी जिस पर अपीलान्ट ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू के यहॉ दिनांक 13.06.2016 को सहवन से प्रस्तुत कर दी थी जो उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2018 को निर्णय पारित करते हुये उक्त न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही होने तथा न्यायालय को ही उक्त अपील ग्रहण करने एवं सुनवाई का क्षेत्राधिकार होने के आधार पर क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज कर दी जिसकी नकल दिनांक 23.08.2018 को प्राप्त कर उक्त अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष बिना किसी देरी के प्रस्तुत की गई तथा विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.12.2014 निरस्त फरमाया जावें।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पूर्ण रूपेण असत्य झूँठे बेग तथा तथ्यों एवं कानून के सिद्धान्तों के विपरित आधारों पर अपील प्रस्तुत की है जो सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। उन्होने कथन किया है कि वर्तमान अपीलान्ट ने उक्त आज्ञा के विरूद्ध अपील संख्या 40/16 निकेश गजराज बनाम महेन्द्रसिह अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत की थी जो दिनांक 18.07.2018 को खारिज कर दी गई तथा निदेशक स्थानीय निकाय राजस्थान जयपुर के यहॉ दिनांक 21.12.2017 को उनकी निगरानी भी खारिज हो गई है तथा इसी अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2014 के विरूद्ध पूर्व में भी न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील संख्या 408/16 उनवान सुरेन्द्र कुमार बनाम महेन्द्र सिह पेश हुई जो दोनों

पक्षों की बहस पश्चात् 11.10.2017 को न्यायालय श्रीमान् द्वारा खारिज फरमा दी गई। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन व खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि लोक सूचना दिनांक 23.04.2013 को दैनिक अम्बर समाचार पत्र में प्रकाशित करवाई गई है, आपत्तियॉ आमंत्रित कर दिनांक 24.12.2014 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.06.2016 को अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष सहवन से अपील प्रस्तुत करना अपीलान्ट का कथन है तो भी अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।